

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 220 /अलवर/ 2015-16

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री वृद्धा यादव सेवा

संस्थान, अलवर जिला अलवर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक 31/12/15 ग्राहक दि. अलवर सन् दो हजार 15-16

को अस्तित्व में किया गया।



31/12/15
रजिस्ट्रार, संस्था
अलवर।